बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०6-1016/2024- 1624 पटना, दिनांक- 25/07/25

प्रधान सचिव द्वारा दिनांक-30.03.2025 को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में विभागीय पोर्टल से प्राप्त चतुर्थ चरण (21.02.2025) का Peyjal Summary Report, CGRC Portal पर अपलोड शिकायतें एवं जिला प्रशासन, दरभंगा के स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्थल जाँच में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत कुल 2038 अदद योजनाओं में से कुल 426 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी एवं कुल 933 अदद योजनाएँ असंतोषजनक पायी गयी। इसके पूर्व भी जिला प्रशासन के स्तर से दिनांक-20.11.2024 एवं दिनांक-21.11.2024 को योजनाओं की क्रियाशीलता की जाँच की गयी थी, जिसमें कुल 4034 अदद योजनाओं में से कुल 1145 अदद योजनाएँ बंद पायी गयी थी।

02. दिनांक-28.03.2025 को CGRC Portal पर लंबित शिकायतों की जाँच में दरभंगा प्रमंडल अन्तर्गत कुल 29 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी। पुनः मुख्य अभियंता(रूपांकण) के प्रावैधिक सचिव की अध्यक्षता में जाँच दल द्वारा प्रमंडल अन्तर्गत CGRC Portal पर कुल 71 अदद लंबित शिकायतों में से Random रूप से 27 अदद शिकायतों का चयन कर उक्त शिकायतों से संबंधित योजनाओं का दिनांक-21.06.2025 एवं 22.06.2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुल 21 अदद योजनाओं की जाँच में 12 अदद योजनाओं में कार्य प्रगति पर था एवं 03 अदद योजनाओं में कार्य प्रारम्भ भी नही किया गया था।

03. श्री अशोक कुमार, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-शून्य, दिनांक-06.08.2024 द्वारा श्री विवेक कुमार ठाकुर, दफादार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा एवं श्री अमित कुमार सिंह, कोषरक्षक, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के विरूद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं जान से मारने की धमकी देने के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में डॉ० गजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित जाँच दल द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रमंडलीय कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से कार्यपालक अभियंता की होती है। श्री विवेक कुमार ठाकुर, दफादार एवं श्री अमित कुमार सिंह, कोषरक्षक द्वारा कार्यालय में अमर्यादित व्यवहार किये जाने के बावजूद श्री आदित्य शंकर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-01, पटना के स्तर से उन दोनों कर्मियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की

अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे स्पष्ट है कि श्री शंकर द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय का संचालन नियमानुकूल तरीके से नहीं किया गया।

04. श्री डॉ० मुरारी मोहन झा, माननीय विधायक, केवटी, दरभंगा द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत "हर घर नल का जल" योजना से संबधित संवेदकों का भुगतान ससमय नहीं किये जाने से संबंधित आरोप की जाँच कर मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि श्री शंकर द्वारा बिना विद्युत विपत्र को अद्यतन किये ही विपत्रों का भुगतान संवेदक को किया गया, जो विभागीय निदेशों की अवहेलना है। श्री शंकर द्वारा विपत्रों को पारित करने में भी Pick & Choose Process अपनाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा केवल चयनित संवेदकों के विपत्रों को पारित करने में ही अभिरूचि दिखाई गयी है।

05. श्री डेविड कुमार चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या-04, पटना की अध्यक्षता में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत की गयी स्थल जाँच में बेनीपुर एवं बहेड़ी प्रखंड में कई योजनाएँ बंद पायी गयी एवं कई योजनाओं का क्रियान्वयन मानक के अनुरूप नहीं पाया गया। साथ ही MIS Portal से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन(दिनांक-21.07.2025) के अवलोकन से स्पष्ट है कि जाँच की गयी कुल 20 योजनाओं में से मात्र 19 योजनाओं का हीं MIS Portal पर Entry की गयी है। साथ ही जाँच के दौरान पूर्ण रूप से बंद पायी गयी 04 योजनाओं एवं आंशिक रूप से बंद पायी गयी 01 योजना को MIS Portal पर चालू दिखाकर विभाग को दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास किया गया। बेनीपुर विधान सभा क्षेत्र के माननीय विधायक द्वारा भी उक्त क्षेत्र में नल-जल की समस्या व्याप्त रहने का उल्लेख किया गया है।

06. योजनाओं के बंद रहने एवं मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नहीं किये जाने से स्पष्ट है कि श्री शंकर द्वारा योजनाओं का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण नहीं किया गया। साथ ही उनके स्तर से संवेदकों के विरूद्ध योजना बंद रहने एवं मानक के अनुरूप योजनाओं के क्रियाशील नहीं रहने के बावजूद एकरारनामा में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारियों/विभाग को नहीं की गयी। साथ ही श्री शंकर द्वारा योजनाओं के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में शिथिलता बरतने वाले अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गयी। श्री शंकर के स्तर से CGRC Portal पर भी लंबित शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं किया गया। योजनाओं के क्रियान्वयन में बरती गयी अनियमितता के कारण आमजन को विभागीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो श्री शंकर की जनोपयोगी योजनाओं के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक है। श्री शंकर के विरूद्ध उनकी लापरवाही एवं संवेदनहीनता के लिए पूर्व में भी आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-828, दिनांक-29.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु स्मारित किये जाने के

बावजूद अभी तक उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध नही कराया गया है।

07. श्री शंकर का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री शंकर प्रथम दृष्टया दोषी है एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री शंकर को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री आदित्य शंकर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-01, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

08. निलंबन अवधि में श्री शंकर का मुख्यालय-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना रहेगा।

09. निलंबन के दौरान श्री शंकर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25.07.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०6-1016/2024- 1625 पटना, दिनांक- 25/07/25

प्रतिलिपिः-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन कोषागार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.07.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०6-1016/2024- 1625 पटना, दिनांक- 25/07/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०/का०प्र०)/मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/ श्री आदित्य शंकर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल संख्या-01, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.07.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव